



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 21.02.2025

1.थाना दनकौर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व पिस्टल बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 19.02.2025 को थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरकपुर में सागर अपनी दुकान के पास खड़ा था तभी लक्की पुत्र विनोद निवासी ग्राम सरकपुर अपनी गाड़ी से दूध डालकर वापस गाँव में जा रहा था, जिसकी गाड़ी से धूल उड़ने पर सागर और विनोद में बीच गाली-गलौच हो गयी थी, इसके बाद लक्की, विनोद, सुभाष, जयप्रकाश उर्फ कालिया, वरुण द्वारा सागर के साथ मारपीट की गयी तथा लक्की द्वारा पिस्टल से सागर के ऊपर गोली चला दी गई जो सागर के पेट में लगी। वादी की तहरीर पर थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 32/25 धारा 191(2),191(3), 190 115(2), 109, 352 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.02.2025 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपनीय सूचना की सहायता से अभियुक्त 1.लक्की पुत्र विनोद 2.वरुण पुत्र विनोद को सलारपुर अंडरपास से चपरगढ को जाने वाले रास्ते के सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस व एक तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण--

- 1- लक्की पुत्र विनोद निवासी ग्राम सरकपुर, थाना दनकौर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
- 2- वरुण पुत्र विनोद निवासी ग्राम सरकपुर, थाना दनकौर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- एक पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस
- 2- एक तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 32/25 धारा धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.02.2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 84/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त जोहेब पुत्र जाहिर उम्र करीब 21 वर्ष को अभियुक्त की दुकान गौर प्लाजा शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

जोहेब पुत्र जाहिर निवासी हाऊस नं0 564 नियर राधे कृष्णा बागरोड एक्सटेंशन 1 थाना शालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 396/24 धारा 304(2),317(2),61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा
2. मु0अ0सं0 425/24 धारा 304,317(2),317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा
3. मु0अ0सं0 84/ 25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सेक्टर-113 नोएडा ।